

पत्रांक

2165 / 3सी

दिनांक 07/06/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :- ऑनलाईन प्रस्ताव 14897/2021 खतेडा से सीणी मोटर मार्ग की लम्बाई 3.50 किमी० के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक 165/3सी दिनांक 24.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक परियोजना के ऑनलाईन वनभूमि प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर पूर्व में कर प्रेषित कर कर दिया गया था। पुनः आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है।

क्र. सं.	आपत्तियाँ/कमियाँ	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के अनुसार प्रस्ताव की ल० 5 किमी० एवं दो सेतु हेतु अनुमोदित लागत रू० 28.61 लाख स्वीकृत किया गया है, जबकि आपके द्वारा प्रस्तावित मार्ग 3.50 किमी० ल० तक निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं जिसमें परियोजना क लागत भी रू० 28.61 लाख दिखायी गयी है, यदि परियोजना का निर्माण कार्य 3.5 किमी० ल० तक किया जाना है, तो परियोजना की लागत अनुमानित रू० 28.61 लाख से कम होगी। अतः परियोजना में होने वाली व्यय की स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव की लम्बाई 5.00 किमी० एवं दो सेतु हेतु अनुमोदित लागत रू० 28.61 लाख प्रथम चरण हेतु स्वीकृत है। ग्राम सीणी तक पी०एम०जी०जी०एस०वाई० द्वारा मार्ग निर्माण किया गया है, जिस कारण इस मार्ग का निर्माण अब 3.500 किमी० में ही किया जाना है। अतः द्वितीय चरण हेतु आगणन गठित करते समय उक्त अतिरिक्त लागत का समायोजन किया जायेगा।
2	उक्त प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली भूमि की श्रेणी राज्य भूमि की दिखायी गयी है जबकि प्रस्ताव में संलग्न (प्रारूप 2.15A) के अनुसार प्रभावित वृक्षों की संख्या 57 एवं प्रभावित वनभूमि की श्रेणी वन पंचायत खतेडा दिखायी गयी है एवं प्रारूप (2.15B) में प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/ प्रारूप (2.15C) में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण/ प्रारूप (2.15E) में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश/ प्रारूप (2.16) वन संरक्षक द्वारा दी जाने वाली वृक्षों की पातन का प्रमाण पत्र आदि प्रपत्रों में भी आपके द्वारा प्रभावित होने वाली वन भूमि की श्रेणी वन पंचायत खतेडा दर्शायी गयी है, उक्त स्थिति में आपको यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त प्रारूपों को संशोधित कर प्रभावित होने वाली भूमि की वास्तविक श्रेणी अंकित करते हुये संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रारूप 2.15 (A), प्रारूप 2.15 (B), प्रारूप 2.15 (C), प्रारूप 2.15 (F), प्रारूप 2.15 (E) एवं प्रारूप 2.16 को संशोधित कर प्रभावित होने वाली भूमि की वास्तविक श्रेणी वन पंचायत खतेडा की है, जो प्रस्ताव में अंकित की गयी है।
3	प्रस्ताव में संलग्न मक डिस्पोजल प्लान के अनुसार परियोजना निर्माण में कितना मलवा उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जित मलवे के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण में कितना मलवा प्रयोग में लाया जा रहा है एवं कितना अवशेष रह रहा है आदि का विवरण नहीं दिया गया है एवं अवशेष मलवे के निस्तारण हेतु चिन्हित डम्पिंग यार्ड की नपत का विवरण भी नहीं दिया गया है।	मक डिस्पोजल प्लान में मलवा निस्तारण का विवरण पेज नं० 9 में दिया गया है एवं अवशेष मलवा निस्तारण हेतु चिन्हित डम्पिंग यार्ड की नपत का विवरण भी दे दिया गया है।
4	विषयांकित मोटर मार्ग के चयनित/ वैकल्पिक समरेखन को दर्शित करने हेतु तैयार किये गये के०एम०एल० फाइल के अवलोकन उपरान्त यह संज्ञान में आया है कि चयनित समरेखन का अन्तिम बिन्दु लाभान्वित होने वाले गांव सीणी से लगभग 100 मी० पहले ही समाप्त हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गांव को अन्तिम बिन्दु से आगे कैसे जोड़ा जायेगा।	ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की सहमति के आधार पर ही मार्ग का सर्वेक्षण किया गया है।
5	इसके अतिरिक्त के०एम०एल० फाइल में लाभान्वित गांव सीणी पूर्व से ही निर्मित एक अन्य मोटर मार्ग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। इस स्थिति में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आपके द्वारा गठित किये जा रहे उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का क्या औचित्य है।	इस स्वीकृत समरेखन पर मार्ग निर्माण में ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की सहमति है। इस मार्ग के निर्माण से दो पूर्व निर्मित मोटर मार्ग आपस में जुड़ रहे हैं तथा जनपद पिथौरागढ़ के सीमान्त क्षेत्र मुनस्यारी एवं नाचनी को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो रहा है। इस मार्ग के निर्माण से इस क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त गांवों के ग्रामीणों को मोटर मार्ग से लाभ प्राप्त होगा। इस मार्ग के समस्त निकट के गांवों को तथा समस्त ग्रामवासियों लाभ मिलेगा।

क्रमशः.....2/-

क्र. सं.	आपत्तियां/कमियां	निराकरण
6	उपरोक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु तैयार की गयी के०एम०एल० फाइल का अवलोकन करने उपरान्त यह प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा चयनित समरेखण में प्रभावित होने वाले वन भूमि में ही क्षतिपूरक वनीकरण का क्षेत्र भी प्रस्तावित किया गया है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि वृक्षहीन है तथा उक्त क्षेत्र में अन्यत्र क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु राजस्व, वन विभाग, लो०नि०वि० एवं स्थानीय ग्रामवासियों/जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तावित कर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(इ० जगदीश प्रसाद)

अधिसूचि अभियन्ता

प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाव
